

कार्यालय : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,  
23 एलनगंज, प्रयागराज, पिन कोड:- 211002

दूरभाष सं० / फ़ैक्स नं०:- 0532-2467504, 0532-2466769 Website: <https://updeled.gov.in>

ई-मेल आई डी:- secretarypnp.up@gmail.com, updeled@gmail.com

विज्ञप्ति

**डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2021 के अन्तर्गत प्रदेश में रिक्त सीटों को शत प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से सीधे प्रवेश (Direct Admission) की कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी**

कार्यालय द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 के अन्तर्गत चयन/प्रवेश की कार्यवाही के उपरान्त प्रदेश के राजकीय/निजी संस्थानों में रिक्त सीटों को शत-प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से, शासनादेश सं० 931/अरसठ-4-2021-9(3)/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 02.11.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, डी०एल०एड० 2021 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अप्रवेशित अभ्यर्थियों से सीधे प्रवेश लिये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है -


क्र०स०	रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों द्वारा सीधे प्रवेश (Direct Admission) लिये जाने तथा निजी संस्थानों द्वारा अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि एवं प्रक्रिया	प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर रिपोर्ट किये जाने की अंतिम तिथि	
1	08.11.2021 से 13.11.2021 तक	1. प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक आवेदन पत्र प्राप्त करना। 2. प्रतिदिन अपराह्न 04:00 बजे से 05:00 बजे तक आवेदित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूरभाष/मैसेज के माध्यम से सूचित करना। 3. प्रतिदिन प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश वेबसाइट पर लॉक करना।	15.11.2021 (नोट - निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट <a href="https://updeled.gov.in">https://updeled.gov.in</a> पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किये जाने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा।)

नोट -

- डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 प्रवेश/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 01 से 2,40,154 तक के समस्त अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण में आरक्षित/विशेष आरक्षण श्रेणी के अतिरिक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में, सीटों को शत प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से आरक्षित/विशेष आरक्षण श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित (un-reserved) श्रेणी की सीट पर परिवर्तित करते हुए सीधे प्रवेश (Direct Admission) की कार्यवाही की जायेगी।
- शासनादेश दिनांक 02.11.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश के राजकीय एवं निजी डी०एल०एड० संस्थाओं द्वारा रिक्त सीटों के प्रति, प्रवेश की कार्यवाही, डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 00001 से 2,40,154 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिनका अद्यतन प्रवेश नहीं हुआ है, से ही रिक्त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सीधे प्रवेश लिये जाने हेतु दिशा निर्देश/नियम व शर्तें शासनादेश सं० 931/अरसठ-4-2021-9(3)/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 02.11.2021 में दिये गये हैं, जिनका अवलोकन विभागीय वेबसाइट [updeled.gov.in](https://updeled.gov.in) पर किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी अपने डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक, आरक्षण, विशेष आरक्षण आदि सुसंगत अभिलेखों के साथ निजी संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति सीधे प्रवेश हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के किये गये आवेदन के प्रति Receipt उपलब्ध कराना

अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने डी0एल0एड0 ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट वेबसाइट [updeled.gov.in](http://updeled.gov.in) से प्राप्त कर सकते हैं।


4. प्रवेश हेतु निर्धारित समय के उपरान्त, प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वेबसाइट [updeled.gov.in](http://updeled.gov.in) पर दिये गये कॉलेज लॉगिन आईडी/पासवर्ड के माध्यम से **Direct Admission** के लिंक पर जाकर अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नं0 को अंकित करते हुए प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों को लॉक/रिपोर्ट करना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्धारित अवधि तक वेबसाइट पर रिपोर्ट न किये जाने पर प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा यह माना जायेगा कि निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश लिया गया है एवं **लिया गया प्रवेश अवैधानिक होगा।**
5. प्रदेश के समस्त डायट/निजी डी0एल0एड0 संस्थानों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 हेतु निर्गत शासनादेश सं0 426/68-4-2019-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 25.06.2019 द्वारा निर्धारित समय-सारिणी, शैक्षिक अर्हता एवं आयु के अनुसार ही सीधे प्रवेश के अन्तर्गत प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

  
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ0प्र0, प्रयागराज

पृ0सं0 / डी0एल0एड0 2021 / 6467-71 / 2021-22 दिनांक 02-11-2021  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री आशेष अग्रवाल, अतिरिक्त राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन सीधे प्रवेश लिये जाने सम्बन्धित समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य सी0टी0ई0 वाराणसी, समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रबन्धक/प्राचार्य निजी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।

  
सचिव,

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उ0प्र0, प्रयागराज